वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 16.12.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण आईनेक्स्ट, आज,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

दैनिक जागरण–दि0 16.12.2025

33 बीघा अवैध प्लाटिंग पर गरजा बुलडोजर

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सोमवार को वीडीए का बुलडोजर गरजा। पांचों जोन में अलग-अलग प्रवर्तन टीम ने 33 बीघा में हुए अवैध प्लाटिंग को तोड़ने के साथ कालोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है। वीडीए उपाध्यक्ष ने पांचों जोन में अवैध प्लाटिंग का सर्वे कराने के साथ 200 अवैध प्लाटिंग चिह्नित करवाया है। अब उनके खिलाफ एक-एक कार्रवाई शुरू कर दी है।

वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने अवैध कालोनियों को वैध करने को लेकर

अवैध प्लाटिंग को तोड़ता बुलडोजर। वीडीए

कालोनाइजरों संग पिछले माह बैठक की थी। कालोनाइजरों को 15 दिन की मोहलत देते हुए ले-आउट दाखिल करने को कहा था। साथ ही जोनल अधिकारी को अपने-अपने जोन में अवैध कालोनियों की सूची बनाने को कहा जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके। कालोनाइजरों के रुचि नहीं दिखाने पर सोमवार से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि जमीन खरीदने से पहले लैंडयूज, पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम नौ मीटर, वीडीए से ले-आउट पास है या नहीं इसकी जांच जरूर कराएं। कालोनी के लिए ले-आउट मानचित्र दाखिल करने पर सात दिन के अंदर स्वीकृत कर दिया जाएगा। टीम में वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा, अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, प्रकाश कुमार, सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार, आदर्श कुमार निराला, रविन्द्र प्रकाश, वर्तिका दूबे आदि शामिल थीं।

हिन्दुस्तान–दि0 16.12.2025

पांचों जोन में 33 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

- वीडीए के अधिकारियों ने की कार्रवाई
- 200 अवैध प्लॉट किए गए चिह्नित

वाराणसी, वरिष्ठ संवाददाता। वीडीए प्रशासन ने सोमवार को अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पांचों जोन में 33 बीघा क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। वहीं 200 अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित किया गया है।

जोन एक शिवपुर के अहरक में लगभग 4 बीघा में अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जमालपुर में रंजीत सिंह द्वारा 5 बीघा में अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। जोन 2 सारनाथ में उदयपुर तथा गोसाईपुर में कॉलोनाइजर सबलू सिंह द्वारा 3 बीघा, सतीश सिंह द्वारा एक बीघा और दिनेश पटेल, पप्पू सिंह एवं सतेंद्र मौर्य की 3 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। जोन 3 दशाश्वमेध में हरपुर गांव में गंजारी स्थित स्पोर्टस स्टेडियम से 5 किलोमीटर दूर रामनाथ पटेल द्वारा लगभग 4 बीघा क्षेत्र में बिना ले-आउट स्वीकृति के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। वहीं जोन चार नगवा के सगहट में राम विलास पटेल व अन्य की ओर से लगभग 7 बीघा में विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया। जोन 5 मुगलसराय के अलीनगर (मुगलसराय रेलवे लाइन) के पास कान्हा ड्रीम सिटी की ओर से लगभग 6 बीघा में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। जिस पर बुलडोजर चलाया गया।

अमर उजाला–दि0 16.12.2025

पांच जोन में 33 बीघे की अवैध प्लॉटिंग कराई ध्वस्त

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के निर्देश पर पांच जोन में 33 बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोन 1, 2, 3, 4 और 5 की प्रवर्तन टीम ने 200 अवैध प्लॉट चिह्नित किए हैं। जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। जोन–1 (वार्ड–शिवपुर) में अहरक जामा मस्जिद के पूर्व में अज्ञात की ओर से 4 बीघे में अवैध प्लॉटिंग, जमालपुर, संजय मौटल के पास रंजीत सिंह की ओर से 5 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। बगैर लेआउट स्वीकृत दोनों अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोन–2 (वार्ड–सारनाथ) के उदयपुर और गोसाईपुर में सबलू सिंह के 3 बीघा, सतीश सिंह के 1 बीघा, दिनेश पटेल, पप्पू सिंह, सत्येंद्र मौर्या की ओर से 3 बीघा अवैध प्लॉटिंग कराई गई थी। जिसे ध्वस्त कराया गया। जोन–3 (वार्ड–दशाश्वमेध) के गंजारी (हरपुर) में स्टेडियम से 5 किलोमीटर आगे रामनाथ पटेल ने 4 बीघा की अवैध प्लॉटिंग कराई थी, इसे ध्वस्त कराया गया। जोन–4 (वार्ड–नगवां) में राम विलास पटेल व अन्य की ओर से 7 बीघा में विकसित अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। जोन–5 वार्ड–मुगलसराय के अलीनगर रेलवे लाइन के पास 6 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 16.12.2025

वीडीए के शिविर में जमा हुए 2.88 करोड़

वाराणसी। बकाया वसूली के लिए सोमवार को वीडीए में विशेष शिविर लगाया गया। इसमें 2.88 करोड़ की धनराशि जमा की गई। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा के अनुसार बकायेदारों से बकाया वसूली के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 279 बकायेदारों के सापेक्ष कुल 116 आवंटी उपस्थित हुए। इनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान बकायेदारों ने बकाया धनराशि से संबंधित की गई जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। अगला विशेष शिविर 15 दिन बाद दोबारा लगाया जाएगा। ब्यूरो

दैनिक जागरण आईनेक्स्ट–दि0 16.12.2025

33 बीघा अवैध प्लाटिंग किया ध्वस्त

पांचों जोन में अलग-अलग टीम बनाकर वीडीए उपाध्यक्ष ने भेजा

varanasi@inext.co.in

VARANASI (15 Dec): विकास प्राधिकरण से बिना ले-आउट पास कराए अवैध तरीके से जमीन की प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ सोमवार को वीडीए का बुलडोजर गरजा. पांचों जोन में अलग-अलग प्रवर्तन टीम ने 33 बीघा में हुए अवैध प्लाटिंग को तोड़ने के साथ कालोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है. वीडीए उपाध्यक्ष ने पांचों जोन में अवैध प्लाटिंग का सर्वे कराने के साथ 200 अवैध प्लाटिंग चिह्नित करवाया है. अब उनके खिलाफ एक-एक कार्रवाई शुरू कर दी है.

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण बोरा ने अवैध कालोनियों को वैध करने को लेकर कालोनाइजरों संग पिछले माह बैठक की थी. कालोनाइजरों को 15 दिन की मोहलत देते हुए ले-आउट दाखिल करने को कहा था. साथ ही जोनल अधिकारी को अपने-अपने जोन में अवैध कालोनियों की सूची बनाने को कहा जिससे आगे की कार्रवाई की जा सके. कालोनाइजरों के रुचि नहीं दिखाने पर सोमवार से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि जमीन खरीदने से पहले लैंडयूज, पहुंच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम नौ मीटर, वीडीए से ले-आउट पास है या नहीं इसकी जांच जरूर कराएं. कालोनी के लिए ले-आउट मानचित्र दाखिल करने पर सात दिन के अंदर स्वीकृत कर दिया जाएगा. टीम में वीडीए सचिव डा. वीपी मिश्रा, अपर सचिव डा. गुडाकेश शर्मा, सहायक नगर नियोजक सौरभ जोशी, जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, प्रकाश कुमार, सौरभ देव प्रजापति, अवर अभियंता रोहित कुमार, आदर्श कुमार निराला, रविन्द्र व अन्य रहे.

अवैध प्लाटिंग को तोड़ता वीडीए का बुलडोजर.

यहां हुई कार्रवाई

जोन एक के शिवपुर वार्ड

- अहरक, जामा मस्जिद के पूर्व में अज्ञात व्यक्ति का करीब चार बीघा.
- मौजा जमालपुर, संजय मोटल के पास रंजीत सिंह का पांच बीघा.

जोन दो के सारनाथ वार्ड

- उदयपुर और गोसाईपुर में सबलू सिंह का तीन बीघा, सतीश सिंह एक बीघा, दिनेश पटेल, पप्पू सिंह और सतेंद्र मौर्य का तीन बीघा.

जोन तीन के दशाश्वमेध वार्ड

- गंजारी (हरपुर) में रामनाथ पटेल का चार बीघा.

जोन चार के नगवां वार्ड

- सगहट में राम विलास पटेल व अन्य लोग का सात बीघा

जोन पांच के मुगलसराय वार्ड

- अलीनगर, मुगलसराय रेलवे लाइन के पास कान्हा ड्रीम सिटी का छह बीघा

आज–दि0 16.12.2025

बकाया वसूली कैम्पमें विप्रा कोषमें जमा हुए लगभग तीन करोड़

वीडीए उपाध्यक्ष पूर्ण वोरा के निर्देशपर सोमवारको विकास प्राधिकरणके सभागारमें बकाया वसूली शिविर लगाया गया, जिसमें २.७९ बकायेदारोंके सापेक्षमें ११६ आवंटी उपस्थित हुए थे, जिसमें दो करोड़ ८८ लाख रुपये वीडीए की कोषमें जमा हुआ। जबकि कुल बकायेदारोंपर लगभग १८ करोड़ रुपया बकाया है। संबंधित विषयमें विभागके अधिकारीने बताया कि वसूली कैम्प १५ दिन बाद पुनः आयोजित होगी। ऋणके माध्यमसे बकाया चुकता करनेके लिए आठ बैंकोंके प्रतिभागी भी उपस्थित रहेंगे। आवश्यक कागज पूरा करनेके बाद वीडीए आवंटियोंको लोन देने की भी सिफारिश करेगा।